

6/शा0/473/5/8/2022

संख्या- 1347/33-1-2022-

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 3- समस्त, मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-1

लखनऊ: ^{अंगार} दिनांक 03 अगस्त, 2022

विषय:- गो-आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु विद्यमान गैप की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

गो-आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य प्रति पशु प्रतिदिन के आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि "राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि में कुछ अंश पूल कर जिस ग्राम पंचायत में गो-आश्रय स्थल स्थापित है, के साथ शेयर किए जाने तथा इस निमित्त उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-16 ए के अधीन व्यवस्था की जाय।"

2- इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा-16ए में यह व्यवस्था है कि "ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं और कार्यों को जो कि उसकी अधिकार सीमा के बाहर स्थित हो, ऐसी सहायता दे सकती हो जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दे।"

कृपया उपरोक्त व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत में स्थापित गो-आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय, 1

Mans
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव। 2

1464

3026
3003-2

श्री मध्य प्रकाश

श्री भूजेश

0001
05/08/22

प्रशासनिक अधिकारी
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।


निदेश 10
04/8/22

संख्या एवं दिनांक :- तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अवधेश कुमार खरे)
संयुक्त सचिव।